न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

लिंक अधिकारी राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सुनील कुमार आदि बनाम ओमप्रकाश आदि

प्रकरण का प्रकार 75 एलआरएक्ट क्रमांक 89 सन 2018

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर मय मुहर	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
26.07.2018	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोण्डेन्ट के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना-पत्र का जवाब मय प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया। बहस सुनी गई। यह अपील उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 19.07.2018 प्रकरण संख्या 529/2018 के विरूद्ध पेश की गई है। रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 ओमप्रकाश ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 एलआरएक्ट में प्रार्थना-पत्र पेश किया था। जिसमें विद्वान न्यायालय ने प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट के तहत दर्ज कर आदेश पारित किया है। धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत पारित आदेश की अपील इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट गुणावगुण पर विचार किए बिना क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होने से मूल अपील अपीलान्ट को लौटाई जाती है। अपीलान्ट अपील सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पूर्व में प्रसारित स्थगन आदेश दिनांक 25.07.2018 निष्प्रभावी समझा जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। 26/7/18 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज०)	